

न्यायालय जिला कलेक्टर, झुंझुनू

12

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 22/2020

डॉ0 राजेन्द्र सिंह भाटी, मां बाला सती लॉ एसोसियेट्स, रावत शॉपिंग मॉल, बाल मन्दिर स्कूल के पास,
दूगड विद्यालय रोड, मुख्य बाजार, सरददारशहर, जिला चूरू

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनू।

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 05.08.2020

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 12.03.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 22/2020 पर दिनांक 12.03.2020 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनू के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020 /454-455 दिनांक 13.03.2020 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनू ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/20 /741 दिनांक 06.04.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक का प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में दिनांक 31.01.2020 को प्राप्त हुआ। आवेदक का प्रार्थना पत्र सूचना के नियम 2005 की धारा 8 (जे) के अन्तर्गत दिये जाने से छूट प्राप्त है जिसकी सूचना आवेदक को इस कार्यालय के पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/20/426 दिनांक 05.03.2020 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/20/741 दिनांक 06.04.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक का प्रार्थना पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 31.01.2020 को प्राप्त हुआ। आवेदक का प्रार्थना पत्र सूचना के नियम 2005 की धारा 8 (जे) के अन्तर्गत दिये जाने से छूट प्राप्त है जिसकी सूचना आवेदक को उनके कार्यालय के पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/20/426 दिनांक 05.03.2020 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयवधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 05.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलेक्टर, झुंझुनू